सार्वजनिक-निजी भागीदारी या निजीकरण

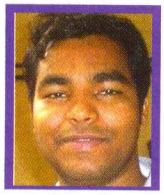

मंजूर अली

विगत कुछ वर्षों से देश के मुख्यधारा के अर्थशास्त्री एवं भारतीय उद्योग जगत ने सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि को सीधे तौर पर आम आदमी के विकास से जोड़ने की कोशिश की है। यह तर्क 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद उदारीकरण के समर्थकों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय (1992-97) से अब तक बार-बार दोहराया जाता रहा है। इस तर्क का निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है की देश के पास राजस्व की कमी है और सभी तरह के विकास पर खर्च के लिए विदेशी पूंजी निवेश अति आवश्यक है। जितना ज्यादा पूंजी निवेश उतनी अच्छी सकल घरेलु उत्पाद, फलतः आम आदमी का विकास। इस तर्क को बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने पुनः प्रतिध्वनित किया है। योजना दस्तावेज ने दावा करने वाले अंदाज में यह बात मानी है की एक सशक्त सकल घरेलु उत्पाद ही आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग है जिसके लिए विदेशी निवेश जीवन रेखा है।

विदेशी पूंजी निवेश के जरिये भारत सरकार विकास की क्षमता को तीन रूपों में बढ़ाना चाहती है। यह तीन-तरफा क्षमता है- मानव, संस्थागत, और ढांचागत। दरअसल, यह प्रयास भारत की सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को भी निजीकरण के हवाले करता है। सरकार अपने एक श्वेत पत्र (2009) में यह कहती है की वितरण से वाया संचालन एवं रखरखाव (O & M) में निजी क्षेत्र का प्रवेश निजीकरण नहीं है क्योंकि संपत्ति का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। समझने की जरुरत है की आखिर निजीकरण क्या है या उसके कितने प्रकार हैं। यह बात सही की पूरी तरह से निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक संपत्ति को निजी पूंजी के हवाले कर देना जिसे हम Built, Own and Operate (BOO) मॉडल के नाम से जानते है। लेकिन इसके अलावा, निजीकरण के बहुतेरे रूप होते है। F.A. Menon & D. Butler (2002) का मानना है की निजीकरण के कई प्रकार होते हैं, जैसे-विशिष्ट कार्यों की आउटसोर्सिंग, लंबी अवधि के संचालन और रखरखाव, लंबी अवधि के लाइसेंस अनुबंध, परियोजना विशिष्ट सार्वजनिक-निजी भागीदारी। आज भारत में भी सार्वजनिक-निजीभागीदारी (पीपीपी) की तूती बोल रही है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने इसे देश की तरक्की का रास्ता माना है।

भारत सरकार ने 2006 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी कोष की स्थापना की थी जिसका काम है सार्वजनिक-निजीभागीदारी की दिशा एवं दशा तय करना। इस कोष ने अब-तक 758 योजनाओं को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं की कुल लागत 383, 332 करोड़ है जो या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने के कगार पर हैं। इस तरह, विकासशील दुनिया में भारत पीपीआई (इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी भागीदारी) के लिए सबसे बड़ा बाजार है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत ने क्षेत्रीय निवेश का 98 प्रतिशत पीपीआई आकर्षित किया। देश में कर्नाटक राज्य 104 पीपीआई के साथ सबसे ऊपर है। आंध्रप्रदेश (96) तथा मध्यप्रदेश (86) पीपीआई के दूसरे एवं तीसरे पायदान पर है महाराष्ट्र (78) और गुजरात (63) के साथ चौथा और पांच वास्थान पर खड़े है।

चल रही पंचवर्षीय योजना में पी पी पी को और भी मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के तहत पी पी आई के अंतर्गत 5631692 करोड़ निवेश निर्धारित किया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक क्षेत्र में पी पी पी के लिए प्रवेश भी द्वार खोल दिए हैं।

पानी के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजीभागीदारी

पानी के क्षेत्र पीपीपी मौजूदा पंचवर्षीय योजना का एक अहम वांछित मुद्दा है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में संचालन एवं रखरखाव के जरिये पीपीपी को सह देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज 64 पीपीपी योजनाएं पानी के लिए देशभर में चलायी जा रही है जिसके माध्यम से पानी का व्यावसायीकरण कर आम जनता से दाम वसूला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी लागत में साझेदारी एवं संचालन और रखरखाव के माध्यम से पैसा वसूला जा रहा है। सवाल यह की जब पानी एक सार्वजानिक वस्तु है तो उसकी लागत जनता से क्यों लिया जाए। लोंगों तक पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है।

स्वास्थ के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजीभागीदारी

सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल को सर्वसुलभ कराने के लिए पीपीपी का रास्ता ही तयशुदा किया है जिसके तहत अलग-अलग सेवाओं में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।

कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी उत्पादकता

कृषि आय और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार माइक्रोइरीगेशन सिस्टम्स में पीपीपी लागू करना करना चाहती है। इतना ही नहीं व्यवहार्यता अंतर अनुदान के अंतर्गत सरकार खाद्यान्न भंडारण में भी पीपीपी लाना चाहती है।

विदेशी पूंजी निवेश के जरिये भारत सरकार विकास की क्षमता को तीन रूपों में बढ़ाना चाहती है। यह तीन-तरफा क्षमता है- मानव, संस्थागत, और ढांचागत। दरअसल, यह प्रयास भारत की सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को भी निजीकरण के हवाले करता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजीभागीदारी

पीपीपी के माध्यम से योजना आयोग ने 2500 आदर्श विद्यालय बनाने का प्रक्षेपण किया है। अब अगर शिक्षा का अधिकार कानून के खंड 12, जो निजी स्कूलों में गरीब छात्रों को 25 प्रतिशत जगह देने की बात करता है, के क्रियांवयन को देखें तो मालूम होगा की कि 70 प्रतिशत इसका उल्लंघन किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय बनाने की बजाए सरकार और योजना आयोग को चाहिए की सामान्य स्कूल प्रणाली पर कार्य करे और सभी को सामान शिक्षा का अवसर दें।

सार्वजनिक-निजीभागीदारी का कमजोर जनता पर असर

सार्वजनिक-निजी भागीदारी में जनता के तरफ से सरकार और निजी क्षेत्र के तरफ से निजी कंपनी भागीदार होतें है। इन दो भागीदारों के मकसद बिलकुल अलग होतें है। एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी होती है जनता को सुविधा मुहैया कराये, वहीं दूसरी तरफ निजी पूंजी का मकसद होता है पैसा कमाना। ऐसे में यह भागीदारी सामान्य नहीं है जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। वह सुविधा जिसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है उसके लिए जनता को अपने जेब से पैसा देने पड़ते हैं। पीपीपी की दूसरी बड़ी समस्या होती है कुशल प्रबंधन के नाम पर कम नियुक्ति तथा मौजूद कर्मचारियों और कामगारों की छंटनी। तीसरी समस्या स्टाफ की प्रकृति का है जो पीपीपी में अस्थायी हो जाते हैं और कम वेतन पर काम करने पर मजबूर रहते है। चौथी मुसीबत यह है की पीपीपी सार्वजानिक क्षेत्र के मुकाबले जितना प्रदर्शन का दावा करती है उतना सच नहीं है।

पीपीपी पर संपूर्ण बहस के बाद यह तय हो पाया है की यह प्रयास कुछ और नहीं बल्कि निजीकरण का ही एक प्रारूप है एवं सामाजिक क्षेत्र में इसका अनावरण हमारे देश की गरीब जनता के लिए नुकसानदेह है। शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, पानी इत्यादि जिससे आज भी देश की आधा से ज्यादा आबादी महरूम है उसका सरकार और योजनाआयोग व्यावसायीकरण नहीं कर सकती। ऐसा होने से भारत एक बड़े संकट की तरफ अग्रसर होगा।

शोधकर्ता, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, शोधाधिकारी, शोधाधिकारी, सेंटर फॉर बजट एवं गवर्नेंस एवं एकाउंटेबलिटी (सी.बी.जी.ए)■